भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 576/3/2015/एसडीआर दिनांक: 22 जनवरी, 2016

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: राज्य सभा तथा राज्य विधान परिषदों के निर्वाचनों के मामले में मतपत्रों पर अभ्यर्थियों के फोटोग्राफ तथा नोटा प्रतीक का मुद्रण - तत्सम्बन्धी।

महोदय,

आयोग के दिनांक 16 मार्च, 2015 के पत्र सं. 576/3/2015/एसडीआर में निहित अनुदेशों के अनुसार, मत पत्र पर अभ्यर्थी का फोटोग्राफ मुद्रित किया जाना अपेक्षित है। आयोग ने निदेश दिया है कि राज्य सभा और विधान परिषदों के निर्वाचनों के मामले में, मतपत्र पर अन्तिम पैनल, 'इनमें से कोई नहीं' (नोटा) के सामने अभ्यर्थियों के फोटोग्राफ के प्रयोजनार्थ कॉलम में, आयोग द्वारा नोटा के लिए (दिनांक 18.09.2015 के पत्र सं.576/3/2014/एसडी आर/खण्ड-II के द्वारा) विनिर्दिष्ट प्रतीक मुद्रित किया जाएगा।

यह अनुदेश उपर्युक्त निर्वाचन होने वाले राज्यों के रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य प्राधिकारियों के ध्यान में, आगामी सभी निर्वाचनों में, अनुपालनार्थ लाया जाए।

भवदीय,

(के. एफ. विल्फ्रेड)
प्रधान सचिव